भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 561
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

561. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(घ) उक्त मिशन के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के कितने घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है; और
(च) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने परिवारों को उक्त मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाना शेष है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। अगस्त 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत से केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 25.11.2024 तक, लगभग 12.07 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 25.11.2024 तक, देश के 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.30 करोड़ (79.11%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुदुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात्

100% परिवारों को नल जल आपूर्ति हो रही है और शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्यपूर्णता योजना के अनुसार मिशन के पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक समस्याएं हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की अल्प उपलब्धता ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

भारत सरकार ने चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन, तर्कसंगत मूल्यों पर पाइपों की सुनिश्चित तथा पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु उपयुक्त उपाय करना, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन उपलब्धता अंतराल को कम करने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल हैं।

(ङ) जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, महाराष्ट्र में 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, 79.72 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.11.2024 तक, राज्य में 146.79 लाख ग्रामीण परिवारों में से 128.16 लाख (87.31%) परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 25.11.2024 तक, राज्य द्वारा 37.18 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(च) नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के परिवारों का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, दिनांक 25.11.2024 तक महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में नल जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 561 में उल्लिखित अनुबंध

अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(25.11.2024 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आज की तारीख में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कुल ग्रामीण परिवार**	**नल जल कनेक्शन वाले परिवार (एचएच)**	**नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का %**
1.	आंध्र प्रदेश	10.76	8.65	80.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	100.00
3.	असम	3.99	3.24	81.15
4.	बिहार	10.43	10.18	97.57
5.	छत्तीसगढ़	4.14	3.28	79.24
6.	गुजरात	0.68	0.68	100.00
7.	हरियाणा	2.71	2.71	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3.99	3.99	100.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.36	0.99	72.61
10.	झारखंड	5.12	2.89	56.37
11.	कर्नाटक	10.98	8.50	77.40
12.	केरल	0.76	0.39	50.85
13.	लद्दाख	0.00	0.00	100.00
14.	मध्य प्रदेश	6.99	4.35	62.27
15.	महाराष्ट्र	4.11	3.53	85.82
16.	मणिपुर	0.10	0.07	68.39
17.	मेघालय	0.02	0.02	84.32
18.	नागालैंड	0.00	0.00	100.00
19.	ओडिशा	7.79	5.95	76.34
20.	पुदुचेरी	0.20	0.20	100.00
21.	पंजाब	14.45	14.45	100.00
22.	राजस्थान	8.52	5.22	61.22
23.	सिक्किम	0.03	0.03	94.74
24.	तमिलनाडु	29.11	25.94	89.10
25.	तेलंगाना	3.22	3.22	100.00
26.	त्रिपुरा	1.42	1.25	88.14
27.	उत्तर प्रदेश	37.25	31.53	84.65
28.	उत्तराखंड	2.20	2.11	95.83
29.	पश्चिम बंगाल	45.30	26.31	58.08
	कुल	**2,15.68**	**1,69.69**	**78.68**

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(25.11.2024 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कुल ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन वाले परिवार (एचएच)	नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का %
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.06	0.06	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	5.78	3.76	65.07
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.97	1.97	100.00
4.	असम	10.82	8.22	76.00
5.	बिहार	1.24	1.22	98.54
6.	छत्तीसगढ़	21.58	16.04	74.32
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	0.35	0.35	100.00
8.	गोवा	0.21	0.21	100.00
9.	गुजरात	20.34	20.34	100.00
10.	हरियाणा	0.00	0.00	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0.82	0.82	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2.57	2.00	78.02
13.	झारखंड	22.26	13.00	58.42
14.	कर्नाटक	5.20	4.46	85.80
15.	केरल	0.42	0.16	37.92
16.	लद्दाख	0.40	0.38	95.81
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.12	91.17
18.	मध्य प्रदेश	29.34	18.36	62.58
19.	महाराष्ट्र	17.37	12.81	73.73
20.	मणिपुर	2.28	1.81	79.44
21.	मेघालय	6.15	5.02	81.61
22.	मिजोरम	1.33	1.33	100.00
23.	नागालैंड	3.61	3.34	92.51
24.	ओडिशा	23.93	17.57	73.41
25.	राजस्थान	17.32	5.61	32.39
26.	सिक्किम	0.55	0.50	91.93
27.	तमिलनाडु	1.68	1.47	87.82
28.	तेलंगाना	7.07	7.07	100.00
29.	त्रिपुरा	3.02	2.40	79.48
30.	उत्तर प्रदेश	1.08	0.89	81.97
31.	उत्तराखंड	0.50	0.50	98.25
32.	पश्चिम बंगाल	7.37	3.60	48.81
	कुल	**2,16.76**	**1,55.41**	**71.70**

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार